N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0221 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 01/10/2024 19:36 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 25/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 28/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:20 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/10/2024 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 01/10/2024 19:36:17 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 360 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KASBA KANOD DIS.UDAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BHUPENDAR KUMAR JOSHI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** HARISH CHANDAR JOSHI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1971 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BRAHMPURI,KANOD, KANOD, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BRAHMPURI,KANOD, KANOD, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	CHANDERMOHAN GOSWAMI		पिता:BHAGWATI PRASAD GOSWAMI	1. WARD NO-17,RADHAKRASHAN NAGAR,MAHARANA PRATAP COLONY,BANDIKUI,BANDIKUI(DAUSA),DAUSA,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		12,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 12,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय , वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 25.09.2024 को समय करीब 02.00 पीएम पर परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार जोशी पुत्र श्री स्व. हरिशचन्द्र जोशी उम्र 53 वर्ष निवासी ब्रह्मपुरी, कानोड, जिला उदयपुर हाल अध्यापक चतुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानोड उदयपुर ने कार्यालय हाजा पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वंय के आधारकार्ड की छायाप्रति के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की कि " मैं भूपेन्द्र कुमार जोशी पुत्र श्री स्व. हरिशचन्द्र जोशी निवासी ब्रहमपुरी कानोड उम्र 53 साल का रहने वाला हूं। मैं वर्तमान में अध्यापक के पद पर चतुर रा.उ.मा.वि. कानोड में कार्यरत हूं। अध्यापन कार्य के साथ-साथ मुझे विद्यालय में स्काउट, खेलकूद सामग्री के संधारण का कार्यभार भी दिया गया है। गत चार पांच दिनों से हमारे विद्यालय की आडिट/भौतिक सत्यापन हेतु निदेशालय, निरीक्षण विभाग जयपुर से भौतिक सत्यापन दल के प्रभारी श्री चन्द्रमोहन जी गोस्वामी आये हुए है। उनके द्वारा हमारे विद्यालय के रिकोड/भण्डारण का आडिट व सत्यापन किया जा रहा है। श्री गोस्वामी जी ने मेरे जिम्में के कार्य स्काउट व खेलकूद सामग्री का आडिट/सत्यापन किया मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 24.12.2022 को विद्यालय के 7 (सात) स्काउट बालकों को स्काउट जम्बूरी रोहट जिला पाली लेकर गया था। उस जम्बूरी में किये जाने वाले खर्च हेतु विद्यालय द्वारा मुझे एडवांस में राशि 15,000/- रूपये दी गई थी। उक्त राशि पर आडिट के दोरान श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी द्वारा आक्षेप लगाकर और उक्त राशि को ब्याज सहित जमा करवाने हेतु मुझ पर दबाव डाल रहे है। विद्यालय द्वारा जम्बूरी केम्प हेतु जो राशि मुझे दी गई थी वह नियमानुसार दी गई थी। श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी द्वारा विद्यालय की खेलकूद सामग्री का सत्यापन किया तो लगभग 25,000/- रूपये की खेलकुद सामग्री की कमी निकाल कर मेरे खिलाफ थाने में F.I.R. दर्ज करवाने एवं आडिट रिपोर्ट में आक्षेप लगाकर विभागीय कार्यवाही हेतु आगे लिखकर भेजने की धमकी दे रहे है। मेरे द्वारा श्री चन्द्रमोहन जी से निवेदन किया कि खेलकूद की सम्पूर्ण सामग्री विद्यालय में ही पडी हुई है। और जो राशि स्काउट खर्च के लिये दी थी वो नियमानुसार दी गई थी। परन्तु उनके द्वारा मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। कल दिनांक 24.09.2024 को श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी जी हमारे विद्यालय में ओडिट कर रहे थे मैं भी विद्यालय में ही था, तब उन्होंने मुझे कमरा नम्बर 01 में बुलाकर मेरे खिलाफ उनके द्वारा आडिट सत्यापन के दोरान स्काउट व खेलकूद सामग्री के सम्बंध में लगाये गये समस्त आक्षेपों का निस्तारण व समायोजन करने एवं मेरे पक्ष में रिपोर्ट तैयार करने की एवज में मुझसे 15,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई है। रिश्वत राशि नही देने पर उन्होंने मुझे जेल भेजने की धमकी दी है। मैं श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी को रिश्वत राशि नहीं देकर रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई रूपयों की लेन देन या उधार नहीं है। और ना ही उनसे कोई पुरानी दुश्मनी व रंजिश है। कानूनी कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत है।" जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दरियाफ्त की गई तो परिवादी द्वारा अवगत कराया कि "मैं वर्ष 2016 से इसी चतुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कानोड, उदयपुर में अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और मुझे अध्यापन कार्य के साथ-साथ विद्यालय में स्काउट गतिविधि संचालन एवं खेलकूद सामग्री के संधारण का कार्यभार भी दिया हुआ है। मैं दिनांक 24.12.2022 को विद्यालय के ही सात स्काउट बालकों को स्काउट जम्बूरी, रोहट, जिला पाली कैम्प में लेकर गया था। उस जम्बूरी कैम्प में खर्च हेतु विद्यालय द्वारा मुझे एडवांस में राशि 15,000/- रूपये जो शिक्षा विभाग के निदेशालय के आदेशानुसार नियमानुसार दी गई थी। गत चार पांच दिनों से हमारे विद्यालय कैशबुक, रिकोड एवं संसाधनों का आडिट व भौतिक सत्यापन श्री चन्द्रमोहन जी गोस्वामी कार्यालय निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा किया जा रहा है। श्री चन्द्रमोहन जी गोस्वामी ने मेरे जिम्में के कार्य स्काउट व खेलकूद सामग्री का भी आडिट/सत्यापन किया गया जिसमें उन्होंने मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 24.12.2022 को स्काउट जम्बूरी रोहट जिला पाली कैम्प में खर्च हेतु विद्यालय से ली गई राशि को नियमानुसार नहीं होना बताकर उक्त राशि पर आडिट के दौरान उन्होंने आक्षेप लगाकर उक्त राशि को ब्याज सहित जमा करवाने हेतु मुझ पर दबाव डाल कर परेशान किया जा रहा है और श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी द्वारा विद्यालय की खेलकूद सामग्री का सत्यापन किया तो लगभग 25,000/- रूपये की खेलकुद सामग्री की कमी निकाल कर मेरे खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर मैरे विरूद्ध शिक्षा विभाग में उच्चाधिकारियों को लिखित में रिपोर्ट तैयार कर भेजने की धमकी दी थी। मेरे द्वारा श्री चन्द्रमोहन जी से निवेदन किया कि जम्बूरी रोहट जिला पाली कैम्प के लिये स्काउट खर्च के लिये विद्यालय द्वारा मुझे दी गई राशि नियमानुसार दी गई थी और खेलकूद की सम्पूर्ण सामग्री विद्यालय परिसर में ही पडी हुई है, जो मै सारी सामग्री आपके

समझ पेश कर देता हूं, परन्तु उनके द्वारा मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरे खिलाफ आक्षेप लगाकर अपनी ओडिट रिपोर्ट में लिखने की बात कह कर मुझे डराने और धमकाने लगे। कल दिनांक 24.09.2024 को श्री चन्द्रमोहन ने मेरे खिलाफ ओडिट में लगाये गये समस्त आक्षेपों का निस्तारण व समायोजन करने एवं मेरे पक्ष में रिपोर्ट तैयार करने की एवज में मुझसे 15,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई है। परिवादी की लिखित रिपोर्ट के अवलोकन एवं मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण करने का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध की श्रेणी का पाया जाने से परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार जोशी को संदिग्ध श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि आज तो विद्यालय समय समाप्त होने से श्री चन्द्रमोहन जी विद्यालय से चले गये होगे, कल दिनांक 26.09.2024 को सुबह 9.00 या 9.30 बजे तक विद्यालय आयेगे, मैं उनसे कल सुबह विद्यालय में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर सकता हूँ। तत्पश्चात् श्री राजेश कानि. को कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय नया रिक्त मेमोरी कार्ड के कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार अध्यापक से आपस में परिचय करवाया जाकर एक दुसरे के मोबाईल नम्बर सुरक्षित करवाये गये। परिवादी को डिजीटल वाईस रिकोर्डर के संचालन की प्रकिया को समझाया गया एवं राजेश कानि. को कल दिनांक 26.09.2024 को ब्यूरो ईकाई एस.यू. की अलमारी से उक्त डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय उक्त नया रिक्त मेमोरी कार्ड लेकर प्रातः 07.00 बजे कार्यालय से रवाना हो कानोड पंहुच परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकोर्ड करवाने की हिदायत दी गई। परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार को गोपनियता बरतने की आवश्यक हिदायत दी जाकर समय करीब 05.10 पी.एम. पर रूकसत किया गया एवं डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय हाजा की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात् दिनांक 26.09.2024 को समय करीब 03.00 पीएम पर श्री राजेश कानि. द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल वार्ता कर अवगत करवाया कि "मैं आज दिनांक 26.09.2024 को प्रातः 07.00 बजे आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय नया रिक्त मेमोरी कार्ड लेकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु कानोड की तरफ रवाना हुआ और समय करीब 09.00 ए.एम. पर कानोड पंहुच परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार अध्यापक से सम्पर्क किया। परिवादी के उपस्थित आने पर श्री भूपेन्द्र कुमार अध्यापक ने बताया कि अभी श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी जी विद्यालय नहीं आये हैं जैसे ही वो विद्यालय में आयेगे तो मैं आपके पास आ जाउंगा। उसके बाद परिवादी विद्यालय की तरफ चला गया, मैं आस-पास ही अपनी उपस्थित को छुपाये हुए विद्यालय से कुछ दुरी पर रहा। उसके बाद समय करीब 02.30 पी.एम पर परिवादी ने आकर बताया कि श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी आज विद्यालय आने के बाद भौतिक सत्यापन में अत्यधिक व्यस्त थे और अब विद्यालय का समय भी समाप्त हो गया है इसलिये आज उनसे रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता नही हो सकेगी, कल दिनांक 27.09.2024 को श्री चन्द्रमोहन के विद्यालय आने पर उनसे रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लुंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री राजेश कानि. को परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार को गोपनियता बरतने की आवश्यक हिदायत देकर रूकसत करने एवं कल दिनांक 27.09.2024 को कनोड पंहुच परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन वार्ता रिकोर्ड करवाने की तथा आज ब्यूरो कार्यालय पहुच डिजीटल वाईस रिकोर्डर ब्यूरो कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात् समय करीब 07.30 पीएम पर कानि. श्री राजेश मय डिजीटल वाईस रिकोर्डर के उपस्थित कार्यालय आया, कानि. द्वारा पूर्व में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये टेलिफोन बताये गये हालात पुनः निवेदन किये। डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय हाजा की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया एवं राजेश कानि. को कल दिनांक 27.09.2024 को ब्यूरो की अलमारी से उक्त डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय उक्त नया रिक्त मेमोरी कार्ड लेकर प्रातः 08.00 बजे ब्यूरो कार्यालय से रवाना हो कानोड पंहुच परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकोर्ड कर लेकर आने की हिदायत दी गई । तत्पश्चात् दिनांक 27.09.2024 समय करीब 01.00 पीएम पर कानि. श्री राजेश ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये टेलिफोन वार्ता कर बताया कि "श्रीमान के निर्देशानुसार मैं आज दिनांक 27.09.2024 को प्रातः 08.00 बजे ब्यूरो कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय नया रिक्त मेमोरी कार्ड लेकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु कानोड की तरफ रवाना होकर समय करीब 10.00 ए.एम. पर कानोड पंहुच परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार अध्यापक से सम्पर्क कर मिला तो परिवादी ने बताया कि "श्री चन्द्रमोहन जी विद्यालय में आ गये है, लेकिन अभी वो ओडिट में व्यस्त है जैसे ही वो फ्री होते है तो मैं आपके पास आ जाउंगा।" उसके बाद परिवादी विद्यालय की तरफ चला गया, मैं आस-पास ही अपनी उपस्थित को छुपाये हुए विद्यालय से कुछ दुरी पर रहा। समय करीब 12.05 पी.एम. पर परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार पुनः मेरे पास आया और बताया कि अब श्री चन्द्रमोहन जी फ्री हो गये है, उनसे अब रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की जा सकती है। जिस पर मेरे द्वारा परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार को डिजीटल वाईस रिकोर्डर के संचालन की समझाईश कर चालू कर देकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के लिये विद्यालय की तरफ समय करीब 12.08 पी.एम. पर रवाना किया। मैं आस-पास ही अपनी उपस्थित को छुपाये हुए विद्यालय से कुछ दुरी पर मुकीम रहा। थोडी देर बाद परिवादी मेरे पास आया और डिजीटल वाईस रिकोर्डर मुझे सुपुर्द किया, जिस बंद कर मेने अपने पास सुरक्षित रखा, परिवादी ने बताया कि मेरी श्री चन्द्रमोहन जी से रिश्वत राशि मांग के सम्बंध में वार्ता हो गई है, जिसे मेने ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकोर्डर में रिकोर्ड कर लिया है, वार्ता में श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी द्वारा ओडिट रिपोर्ट में लगाये गये आक्षेपों के समायोजन के एवज में मुझसे 15,000/- रूपये

रिश्वत राशि की मांग कर मधु शर्मा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर ऑनलाईन खाते में डालने के लिये कहा, जिस पर मेरे द्वारा श्री चन्द्रमोहन द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर रिश्वत राशि ऑनलाईन ट्रांसफर करने का प्रयास किया तो मेरे बैंक खाते में बेलेन्स कम होने से ट्रांसफर नहीं हो सके। जिस पर मेरे द्वारा मेरे पास रखे हुये नगद 3,000/- रूपये को मेने अपने स्वविवेक से श्री चन्द्रमोहन जी को दिये जो उन्होंने ग्रहण कर अपने पास रख लिये और शेष बारह हजार रूपये उनके द्वारा दिये गये मधुशर्मा के मोबाईल नम्बर पर ऑनलाईन डाल देने के लिये कहा।" जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री राजेश कानि. को परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार को साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने की हिदायत दी गई। मामला हाजा में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमान् आयुक्त महोदय, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री मुनीर हैड कानि. 98 को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर रवाना किया। थोडी देर बाद श्री मुनीर खान हैड कानि. मय कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर से दो मनोनित स्वतंत्र गवाह के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। जिन्हे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो हर दोनो स्वतंत्र गवाह ने अपना-अपना परिचय श्री कैलाश चन्द्र खराडी, पुत्र श्री कान्तिलाल खराडी, उम्र 37 वर्ष, निवासी गांव पीथापुर, पोस्ट खैरवाडा पंचायत समिति बिच्छीवाडा, जिला डूंगरपुर हाल गोवर्धन विलास, उदयपुर, हाल सहायक प्रशासिनक अधिकारी, कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर व श्री अमर सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह उम्र 30 वर्ष, निवासी 10, ज्योति नगर, ग्रीन पार्क, दादी का फाटक, जयपुर हाल 69, मोती मंगरी, उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर होना बताया, हर दोनो गवाहो को ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की स्वीकृति चाही गई तो हर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति व्यक्त की। तत्पश्चात् समय करीब 04.30 पीएम पर श्री राजेश कानि. मय परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार जोशी अध्यापक मय डिजीटल वाईस रिकोर्डर के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री राजेश कानि द्वारा डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड के प्रस्तुत किया। परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री राजेश कानि द्वारा जरिये मोबाईल बताये गये तथ्यो की ताईद कर बताया कि "श्री चन्द्रमोहन, प्रभारी भौतिक सत्यापन दल सं. 32 निदेशालय निरीक्षण विभाग जयपुर द्वारा मेरे उपर दिनांक 24.12.2022 को छात्रकोष रोकड बही में स्काउट के जम्बूरी पाली में किये गये केम्प में आहरित की गई राशि 15000 रूपये के समायोजन नही किये जाने का आक्षेप लगाने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा पत्रांक 205 दिनांक 26.09.2024 से मुझे इस संबंध में विद्यालय त्यागने से पूर्व वस्तुत स्थिति से अवगत कराने का नोटिस दिया। जिस पर मैंने कैम्प में नियमानुसार आहरित की गई राशि 15,000 रूपये मय ब्याज 4725 रूपये कुल 19725 रूपये दिनांक 26.09.2024 को जमा करा दिये गये।" परिवादी द्वारा प्रधानाचार्य, चतुर रा.उ. मा. वि. कानोड दिये गये नोटिस की मूल प्रति जिस पर रसीद नं. 730 दिनांक 26.9.2024 रूपये 19725/- रूपये परिवादी द्वारा जमा कराने का पृष्ठाकन है प्रस्तुत किया जिसे शामील कार्यवाही किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकोर्डर को चलाकर सुना गया तो श्री राजेश कानि एवं परिवादी के बताये गये उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि हुई। तत्पश्चात् कार्यालय कक्ष में बैठे हुए दोनों स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार की हस्तलिखित रिपोर्ट दिनांक 25.09.2024 को दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने लिखित रिपोर्ट स्वंय की हस्तलिपि में होकर शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होने की ताईद की। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा डिजीटल वाईस रिकोर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दिनांक 27.09.2024 को परिवादी व संदिग्ध श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी प्रभारी भौतिक सत्यापन दल निरीक्षण विभाग के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन की रिकोर्डशुदा वार्ता को परिवादी के समक्ष चलाकर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को सुनाया गया तो हर दोनों स्वतंत्र गवाहान द्वारा रिश्वत राशि मांग की पुष्टि होना बताया। तत्पश्चात् समय 05.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री राजेश कानि. 263 द्वारा दिनांक 27.09.2024 को समय करीब 12.08 पीएम पर परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार जोशी अध्यापक व संदिग्ध आरोपी श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी प्रभारी भौतिक सत्यापन दल 32 निरीक्षण विभाग, जयपुर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकोर्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के श्री राजेश कानि. से स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष कार्यालय हाजा के लेपटोप से कनेक्ट करवा चलवाकर सुनवाकर उक्त वार्ता की शब्द-ब-शब्द पृथक से ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। उक्त वार्ता में परिवादी ने अपनी आवाज के अलावा अन्य आवाज श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी की होने की ताईद की। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय हाजा की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार को गोपनियता बरतने की एवं संदिग्ध श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी प्रभारी भौतिक सत्यापन दल को दी जाने वाली रिश्वत राशि 12,000/- रूपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 28.09.2024 को प्रातः 09.00 बजे कानोड के आस पास एकान्त स्थान पर मिलने के लिये कहा गया तो परिवादी ने कस्बा कानोड से पहले राजेश पैलेस होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट उम्मेदपुरा, भीण्डर कानोड रोड पर मिलने के लिये कहा। दोनों

स्वतंत्र गवाहान को गोपनियता बरतने व कल दिनांक 28.09.2024 को प्रातः 07.00 बजे ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने की आवश्यक हिदायत देकर परिवादी व गवाहान को रूखसत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 28.09.2024 को समय करीब 07.00 ए.एम पर पाबन्दशुदा गवाह श्री कैलाश चन्द्र खराडी सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री अमर सिंह कनिष्ठ सहायक ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। समय करीब 07.45 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि चालक श्री युसुफ खान को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी अपने पास सरकारी वाहन बोलेरो के डेश बोर्ड के बोक्स में सुरक्षित रखने के निर्देश देकर रखवायी गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री मोहम्मद जाबीर पुलिस उप निरीक्षक, हैडकानि श्री चन्द्रकान्त, कानि श्री दिनेश व दोनो स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप बोक्स, लेपटोप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन इनोवा मय चालक एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हैडकानि श्री मुनीर खान व श्री राजेश कानि मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री युसुफ खान मय कार्यवाही में प्रयुक्त डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड के पूर्व निर्धारित स्थान कस्बा कानोड से पहले राजेश पैलेस होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट उम्मेदपुरा, भीण्डर कानोड रोड की तरफ रवाना होकर समय करीब 09.15 ए.एम. पर पहुचे जहा परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार उपस्थित मिला। रेस्टोरेंट के अन्दर खाली कक्ष में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष संदिग्ध श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार जोशी से मांगने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 24 नोट कुल 12,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये थे। जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित कर नोटों का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात् श्री युसुफ कानि. चालक के पास सरकारी वाहन बोलेरो की डेश बोर्ड के बोक्स में रखी हुई फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को मंगवाकर अखबार बिछवाकर उक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री कैलाश चन्द्र से लिवाई गई जिसमें परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दांयी जेब कोई अन्य वस्तु नहीं छोडी जाकर फिनोफ्थलीन लगे हुए नोटों को श्री युसुफ कानि. चालक से रखवाये गये। तत्पश्चात श्री दिनेश कानि से वाहन इनोवा में रखे ट्रेप बोक्स को मंगवाया जाकर, उसमें रखे एक पारदर्शी प्लास्टिक के साफ डिस्पोजल गिलास को निकलवाकर उसमें रेस्टोरेन्ट में रखी पीने के पानी की बोतल से पानी भरवाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उस घोल में श्री युसुफ कानि. चालक की अंगुलियों व अंगुष्ठ जिन पर फिनाफ्थलीन पाउडर लगा हुआ को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी, परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को श्री युसुफ कानि. चालक से रेस्टोरेन्ट परिसर से बाहर फिकवाया जाकर तथा उपरोक्त प्लास्टिक के गिलास व अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात् परिवादी को हिदायत दी गई कि संदिग्ध आरोपी श्री चन्द्र मोहन गोस्वामी को उनकी मांग अनुसार 12,000/- रूपये रिश्वती राशि मांगने पर ही देवें तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार कार्यवाही के सभी सदस्यों के हाथों को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाये गये एवं परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र, स्वंय के खर्च के कुछ रूपये तथा अपने-अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा संदिग्ध के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें एवं उक्त ईशारे के बारे में ट्रेप टीम सदस्यों को समझाया गया। श्री युसुफ खान कानि को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशि को सरकारी वाहन बोलेरो के डेश बोर्ड के बोक्स में पुनः सुरक्षित रखने एवं कार्यवाही के दौरान वाहन में ही रूकने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही फर्द मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 10.00 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार जोशी को संदिग्ध श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी की लोकेशन के बार में पूछा तो परिवादी ने बताया कि अभी श्री चन्द्रमोहन जी, चतुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कानोड में ही उपस्थित मिल जायेगें, वहां पर वो मुझसे रिश्वत राशि ले लेगे, पहले भी उन्होने विद्यालय में ही रिश्वत राशि की मांग कर मुझ से तीन हजार रूपये ग्रहण किये थे। श्री राजेश कुमार कानि को रिश्वत राशि की बरामदगी एवं जप्ती की अपने मोबाईल फोन में विडियो-ओडियो रिकार्डिंग हेतु निर्देशित कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी के साथ गवाह श्री कैलाश चन्द्र व श्री राजेश कुमार कानि मय डिजीटल वाईस रिकोर्डर के परिवादी की मोटर साईकिल से, श्री मोहम्मद जाबीर उप निरीक्षक, स्वतंत्र गवाह श्री अमरसिंह, हैडकानि श्री चन्द्रकान्त व

कानि दिनेश को प्राईवेट वाहन इनोवा मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बोक्स व आवश्यक संसाधन के एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हैडकानि श्री मुनीर खान मय सरकारी वाहन मय चालक के चतुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कानोड की तरफ रवाना होकर समय करीब 10.40 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के अपने-अपने वाहनो से चतुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कानोड के पास पहुचें, जहां वाहनो को निर्धारित दुरी रखते हुए रोड के साईड में खडा करवाया जाकर परिवादी को संदिग्ध की लोकेशन की जानकारी करने के लिये कहा गया तो परिवादी ने कुछ देर बाद बताया कि श्री चन्द्रमोहन विद्यालय में ही उपस्थित है। जिस पर समय करीब 11.50 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री राजेश कुमार कानि ने डिजीटल वाईस रिकोर्डर को चालू कर परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार जोशी को देकर रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता हेतु विद्यालय की तरफ रवाना किया, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो टीम के सदस्यगण विद्यालय के आस पास ही अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाये हुए परिवादी के निर्धारित इशारे के इन्तजार में रहे। समय करीब 12.30 पीएम पर श्री राजेश कुमार कानि ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी ने विद्यालय से बाहर निकलकर बिना इशारा किये मेरे पास आकर डिजीटल वाईस रिकोर्डर दिया, जिसे बन्द कर मैंने अपने पास सुरक्षित रखा, उसके बाद परिवादी ने बताया कि मैं विद्यालय में गया तो श्री चन्द्रमोहन जी वहीं पर उपस्थित थे, उन्होंने मुझे रिश्वत राशि के संबंध में कोई वार्ता नही की, वो मुझे उनका मोबाईल फोन दिखाकर, हाथो से नोट गिनने का इशारा कर एवं बिना शब्द निकाले होटों को हिलाकर रिश्वत राशि मुझे ऑनलाईन करने का ईशारा कर रहे थे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री राजेश कानि व टीम के अन्य सदस्यों को अग्रिम कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश देकर परिवादी को नगद रिश्वत राशि देने हेतु कुछ समय बाद पुनः प्रयास करने हेतु हिदायत दी। तत्पश्चात समय करीब 01.27 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री राजेश कुमार कानि. ने डिजीटल वाईस रिकोर्डर को चालू कर परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार को देकर रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता हेतु विद्यालय की तरफ पुनः रवाना किया, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के विद्यालय के आस पास ही अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाये हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मूकीम रहे। समय करीब 01.46 पीएम पर श्री राजेश कुमार कानि ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी ने विद्यालय से बाहर निकलकर बिना इशारा किये मेरे पास आकर डिजीटल वाईस रिकोर्डर दिया, जिसे बन्द कर मैंने अपने पास सुरक्षित रखा, उसके बाद परिवादी ने बताया कि मैंने विद्यालय में जाकर श्री चन्द्रमोहन जी से रिश्वत राशि नगद ही लेने के संबंध में वार्ता करने का प्रयास किया तो उन्होंने मुझसे रिश्वत राशि के संबंध में कोई वार्ता नही की, वो मुझे उनका मोबाईल फोन दिखाकर रिश्वत राशि को ऑनलाईन करने का ही इशारा कर रहे थे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री राजेश कानि व टीम के अन्य सदस्यों को अग्रिम कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश देकर परिवादी को नगद रिश्वत राशि देने हेतु कुछ समय बाद अन्तिम बार प्रयास करने की हिदायत दी। तत्पश्चात समय करीब 02.02 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री राजेश कुमार कानि. ने डिजीटल वाईस रिकोर्डर को चालू कर परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार को देकर रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता हेतु विद्यालय की तरफ पुनः रवाना किया, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के विद्यालय के आस पास ही अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाये हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मूकीम रहे। समय करीब 02.47 पीएम पर श्री राजेश कुमार कानि ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी ने विद्यालय से बाहर निकलकर बिना इशारा किये मेरे पास आकर डिजीटल वाईस रिकोर्डर दिया, जिसे बन्द कर मैंने अपने पास सुरक्षित रखा, उसके बाद परिवादी ने बताया कि मैं विद्यालय के अन्दर जाकर नगद रिश्वत राशि देने का प्रयास किया तो श्री चन्द्रमोहन जी ने मुझसे थोडी दुरी बनाकर दुर से ही उनके मुहँ पर अंगुली रख कर मुझसे इशारे में पूछा कि रूपये ट्रांसफर कर दिये क्या, जिस पर मैंने भी इशारे में उन्हे रूपये अभी ट्रांसफर नही किये है ट्रांसफर थोडी देर में करता हूँ बताया तथा परिवादी ने बताया कि श्री चन्द्र मोहन जी सतर्क हो गये है वो मुझसे रिश्वत राशि के सम्बन्ध में कोई वार्ता नही कर रहे है, अगर मैं अब बार बार जाउंगा तो उन्हे शंका हो जायेगी, वो मुझसे फोन-पे से ऑनलाईन ही उनके द्वारा दिनांक 27.09.2024 को बताये गये मोबाईल नम्बर पर रिश्वत राशि को ट्रांसफर करवाकर राशि ग्रहण करेगे। विद्यालय का समय समाप्त होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री राजेश कानि व परिवादी को परिवादी की मोटर साईकिल से, श्री मोहम्मद जाबीर उनि, हैडकानि श्री चन्द्रकान्त, कानि श्री दिनेश कुमार मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय वाहन मय चालक एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री मुनीर खान मय वाहन मय चालक के कस्बा कानोड के बाहर एकान्त स्थान पर पहुचे जहा परिवादी ने बताया कि श्री चन्द्रमोहन जी मुझसे ऑनलाईन ही रिश्वत राशि लेगें, इसलिये मैंने अपने खाते में रूपयो की व्यवस्था करवा ली है श्री चन्द्रमोहन ने ओडिट के नाम से रिश्वत राशि लेने के लिये मुझे बहुत प्रताडित किया है मैं उनको रिश्वत राशि लेते हुए पकडवाना चाहता हूं। इसी दौरान परिवादी ने आरोपी श्री चन्द्रमोहन द्वारा बताये गये मोबाईल नम्बर [redacted] पर यूपीआई पेमेन्ट एप फोन-पे के माध्यम से 12,000/- रूपये रिश्वत राशि ट्रांसफर कर बताया कि मैंने चन्द्रमोहन जी के कहेनुसार ऑनलाईन रिश्वत राशि 12,000/- रूपये ट्रांसफर कर दिये है और इसकी रिसीप्ट भी मैसेज के साथ श्री चन्द्रमोहन को व्हाट्सएप पर भेज दी है। चुकी आरोपी श्री चन्द्रमोहन प्रारम्भ से ही ऑनलाईन रिश्वत राशि ग्रहण करना चाह रहा था एवं परिवादी ने आरोपी द्वारा बताये गये मोबाईल नम्बर पर 12 हजार रूपये ट्रांसफर किये जा चुके है। आरोपी श्री चन्द्रमोहन द्वारा अपनी मांग अनुसार परिवादी से

रिश्वत राशि ऑनलाईन ग्रहण करने से उसकी गिरफ्तारी मतलुब होने से आरोपी की लोकेशन की जानकारी करने एवं रिश्वत राशि प्राप्त करने की ताईद हेतु परिवादी के मोबाईल फोन से आरोपी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल करा वार्ता करवायी गई तो परिवादी द्वारा आरोपी को "वो बारह हजार मैंने ट्रांसफर कर दिये सर" कहने पर आरोपी ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का लाउड स्पीकर मोड ओन कर ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकोर्डर में रिकोर्ड किया गया। परिवादी के मोबाईल फोन से पुनः कॉल करने पर आरोपी द्वारा फोन कॉल रिसीव नही किये गये। परिवादी ने पूछने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि विद्यालय का समय समाप्त हो जाने पर श्री चन्द्रमोहन विद्यालय के अन्य स्टाफ की कार में बैठकर या अन्य साधनो से भीण्डर रेल्वे स्टेशन तीराहा जाकर वहां से रोडवेज या प्राईवेट बस में बैठकर उदयपुर उनके निवास के लिये जाते है। जिस पर आरोपी की तलाश हेतु श्री मोहम्मद जाबीर उनि, हैडकानि श्री चन्द्रकान्त, कानि श्री दिनेश कुमार मय दोनो स्वतंत्र गवाहान के साथ परिवादी व श्री राजेश कानि मय वाहन मय चालक के एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हैडकानि श्री मुनीर खान मय वाहन बोलेरो मय चालक के भीण्डर रेल्वे स्टेशन तीराहा की तरफ रवाना हुए। वहां पहुच कर आरोपी श्री चन्द्रमोहन की तलाश की गई तो ज्ञात आया कि समय 3.30 पीएम पर आने वाली रोडवेज बस तो आज नही आयी है लेकिन एक पीले रंग की प्राईवट बस उदयपुर के लिये गई है। परिवादी ने मालुमात कर बताया कि इस समय शेखावत बस यहां से उदयपुर के लिये जाती है जिसे अगर जल्दी करे तो भटेवर के आस पास रोका जा सकता है, श्री चन्द्रमोहन के उसी बस में होने की सम्भावना है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के भटेवर रोड पर शिघ्र पंहुच कर बस को रोककर आरोपी को पकडने के लिये अपने अपने वाहनो से कीर की चैकी नेशनल हाईवे होते हुए भटेवर से उदयपुर रोड पहुचने पर एक पीले रंग की प्राईवेट बस उदयपुर की तरफ जाती हुई नजर आयी, जिसका पिछा कर समय करीब 4.41 पीएम पर डबोक एयरपोर्ट पुलिया के पास साईड में रूकवा कर परिवादी की निशादेही से बस में आरोपी श्री चन्द्रमोहन की तलाश करने लगे तो परिवादी ने बस की कन्डेक्टर सीट के पीछे की दुसरी सीट पर खिडकी के पास बैठे एक व्यक्ति की और इशारा कर बताया कि ये ही चन्द्रमोहन जी है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को स्वंय का व हमराहियान का परिचय देकर बस से उतरने के लिये कहा तो वो व्यक्ति बस से उतकर कर बाहर आया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति से नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम चन्द्रमोहन गोस्वामी पुत्र श्री भगवती प्रसाद गोस्वामी, उम्र 57 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 17, राधाकृष्ण नगर, बांदीकुई, जिला दौसा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रभारी, भौतिक सत्यापन दल संख्या 32, कार्यालय निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर होना बताया। श्री चन्द्रमोहन के हाथ में एक प्लास्टिक का ट्रांसपेरेन्ट बैंग जिसमें कुछ दस्तावेज थे व एक हाथ में सेमसंग कम्पनी का मोबाईल फोन था जिसे स्वतंत्र गवाह श्री अमर सिंह के पास सुरक्षित रखवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के आरोपी श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी को हमराह लेकर अग्रिम कार्यवाही एवं आरोपी से पूछताछ करने हेतु निकटम पुलिस थाना डबोक होने से वहा से रवाना होकर थाना डबोक पहुचे। जहा थानाधिकारी व थाने का अन्य स्टाफ उपस्थित मिला। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने थानाधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाये गये कक्ष में स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष आरोपी श्री चन्द्रमोहन को परिवादी से भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के समायोजन करने व उसके ओडिट रिपोर्ट में आक्षेप नही लगा कर पुराने सामान को अनउपयोगी बताकर सही रिपोर्ट तैयार करने की एवज में रिश्वत राशि 15,000/- रूपये की मांग कर खाते में डालने के लिये कहकर तीन हजार रूपये नगद ग्रहण करने एवं आज रिश्वत राशि ऑनलाईन प्राप्त करने के ईशारे करने के सबंध में एवं शेष बारह हजार रूपये दिनांक 27.09.2024 को परिवादी को दिये गये मधु शर्मा के मोबाईल नम्बर पर फोन-पे के माध्यम से रिश्वत राशि 12000/- प्राप्त करने के संबंध में पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि मैने भूपेन्द्र जी से कोई रिश्वत राशि की मांग नही की है इन्होने मेरे मोबाईल से मेरी बिना जानकारी के मोबाईल नम्बर लेकर उस पर 12000/- रूपये ट्रांसफर कर दिये है इन्होने ऐसा मुझे फंसाने के लिये किया है। जिस पर परिवादी ने कहा कि श्री चन्द्रमोहन जी झूठ बोल रहे है इन्होने भौतिक सत्यापन के दौरान विद्यालय के रिकोर्ड/भण्डारण का ओडिट व सत्यापन किया गया, जिसमें श्री चन्द्रमोहन ने मेरे जिम्में के कार्य स्काउट व खेलकूद सामग्री का ओडिट/सत्यापन किया जिसमें मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 24.12.2022 को विद्यालय के 7 (सात) स्काउट बालकों को स्काउट जम्बूरी रोहट जिला पाली में किये जाने वाले खर्च हेतु विद्यालय द्वारा मुझे एडवांस में दी गई राशि का समायोजन नही करने का आक्षेप लगाकर उक्त राशि को ब्याज सहित जमा करवाने हेतु मुझ पर दबाव डाला गया एवं विद्यालय की खेलकूद सामग्री का सत्यापन किया तो लगभग 25,000/- रूपये की खेलकुद सामग्री की कमी निकाल कर मेरे खिलाफ थाने मे मुकदमा दर्ज करवाने एवं ओडिट रिपोर्ट में आक्षेप लगाकर विभागीय कार्यवाही हेतु आगे लिखकर भेजने की धमकी देकर मुझसे रिश्वत राशि 15,000/- रूपये की मांग की गई। जिस पर मेरे द्वारा आपके कार्यालय में इस संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई। जिस पर दिनांक 27.09.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान श्री चन्द्रमोहन द्वारा मुझसे 15,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर मधु शर्मा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर खाते में डालने के लिये कहा, जिस पर मेरे द्वारा श्री चन्द्रमोहन द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर रिश्वत राशि ऑनलाईन ट्रांसफर करने का प्रयास किया तो मेरे बैंक खाते में बेलेन्स कम होने से ट्रांसफर नहीं हो सके। जिस पर मेरे द्वारा मेरे पास रखे हुये 3,000/- रूपये रिश्वत राशि को मैने अपने स्वविवेक से श्री चन्द्रमोहन जी को दिये जो उन्होंने ग्रहण कर अपने पास रख लिये और शेष रिश्वत

राशि 12,000/- रूपये अपने भाई की पुत्री मधु के अकाउण्ट में मोबाईल नम्बर से फोन-पे के माध्यम से ऑनलाईन यूपीआई ट्रांसफर करने के लिये कहा। आज श्री चन्द्रमोहन जी के पास मैं नगद 12,000/-रूपये रिश्वत राशि देने के लिये गया तो ये मुझे बार-बार इनका मोबाईल फोन दिखाकर, हाथो से नोट गिनने जैसा इशारा कर एवं बिना शब्द निकाले होटों को हिलाकर रिश्वत राशि को ऑनलाईन करने का ईशारा कर रहे थे। जिस पर मेरे द्वारा श्री चन्द्रमोहन जी द्वारा बताये गये मोबाईल नम्बर [redacted] पर फोन-पे एप्स के माध्यम से यूपीआई पेमेन्ट 12,000/- रूपये रिश्वत राशि ट्रांसफर कर मैंने इसकी रिसीप्ट भी मैसेज के साथ इनके मोबाईल नम्बर पर व्हाट्सएप कर दी थी। तत्पश्चात आरोपी श्री चन्द्रमोहन को परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो के संबंध में पूछा गया तो आरोपी अपना सर झुका कर मौन रहा। दौबारा पूछने पर आरोपी ने बताया कि विद्यालय के भौतिक सत्यापन के दौरान काफी अनियमितता सामने आयी थी, मैंने कम पायी गई स्पोटस सामग्री को अनउपयोगी बताकर कम से कम राशि का आक्षेप कर भूपेन्द्र जी से रिपोर्ट सही बनाने की एवज में ही 15000 रूपयो की मांग कर खाते में डालने के लिये कहकर मैंने मेरे भाई की पुत्री के मोबाईल नम्बर दिये थे, उसी दौरान तीन हजार रूपये इन्होने मुझे दिये थे वो मैंने दैनिक उपयोग व खाने पिने की चिजे खरिदने में खर्च कर दिये। आरोपी श्री चन्द्रमोहन को मोबाईल फोन दिखाकर, हाथो से नोट गिनने जैसा इशारा कर एवं बिना शब्द निकाले होटों को हिलाकर रिश्वत राशि को ऑनलाईन करने का परिवादी को ईशारा करने के संबंध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि आज दिनांक 28.09.2024 को विद्यालय के अध्यापको द्वारा सामुहिक भोजन का आयोजन किया जाने से एकान्त स्थान नही मिलने से एवं कार्य की अधिकता होने से मैंने श्री भूपेन्द्र कुमार को शेष राशि पूर्व में कहेनुसार ऑनलाईन करने के लिये इशारो में कह रहा था, मैं भूपेन्द्र जी से बार-बार इस संबंध में वार्ता नही करना चाहता था इसलिये मैं इशारो में ही दूर से बात कर रहा था। सर मुझसे गलती हो गयी है मुझे माफ कर दो, मेरा रिटायमेन्ट नजदीक है मुझे छोड दो मैं ऐसी गलती कभी नही करूंगा। आरोपी से परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार से संबंधित भौतिक सत्यापन एवं लगाये गये आक्षेपो संबधित दस्तावेजो के बारे में पूछने पर बताया कि श्री भूपेन्द्र कुमार से संबंधित ओडिट कार्य के दस्तावेज मेरे प्लास्टिक के बैग में है, आरोपी से बेग में रखे दस्तावेजो के बारे में पूछताछ कर दस्तावेजो के प्रथम पेज पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार स्वतंत्र गवाह से परिवादी की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर लगी ट्रेप राशि 12000/- रूपये को निकलवा नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरो से करवाया जाकर कागज के लिफाफे में सुरक्षित रखवाकर ट्रेप बोक्स में सुरक्षित रखवायी गई। तत्पश्चात् समय करीब 06.40 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो टीम सदस्य मय डिटेनशुदा आरोपी श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी मय ट्रेप बोक्स लेपटोप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन प्राईवेट व सरकारी वाहनों के पुलिस थाना डबोक से रवाना होकर समय करीब 07.30 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पंहुच। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष आज दिनांक 28.09.2024 को समय करीब 11.50 एएम, 01.27 पीएम, 14.02 पीएम व 03.33 पीएम पर हुई परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ताओ को बारी-बारी से सुना गया। उक्त वार्ताओ को सूनकर पूर्व में परिवादी द्वारा बताये गये तथ्य "आरोपी द्वारा रिश्वत राशि संबंधी वार्ता नही करना" की ताईद हुई। समय करीब 11.50 एएम, 01.27 पीएम, 14.02 पीएम पर हुई वार्ता में परिवादी की अन्य व्यक्तियो से वार्ता होने एवं परिवादी की आरोपी से रिश्वत राशि संबंधी वार्ता व परिवादी के पेण्डिंग कार्य से संबंधित कोई वार्ता नही होने से उक्त वार्ताओ की फर्द ट्रांसक्रिप्ट नही बनायी गई। समय करीब 03.33 पीएम पर हुई वार्ता में परिवादी के मोबाईल फोन से आरोपी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल करा वार्ता करवायी जिसमें परिवादी द्वारा आरोपी को "वो बारह हजार मैंने ट्रांसफर कर दिये सर" कहने पर आरोपी ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। उसके बाद परिवादी द्वारा कॉल करने पर भी आरोपी ने परिवादी का फोन रिसीव नही किया। उक्त वार्ता में आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि संबंधी वार्ता नही करने से फर्द ट्रांसक्रिप्ट नही बनायी गई। आरोपी श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी का मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी का मोडल गेलेक्सी एफ12 बरंग नीला को सफेद कपडे की थैली में सीलचिट करवा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर जरिये फर्द जप्त किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार जोशी व आरोपी श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी सहायक प्रशासनिक अधिकारी के मध्य दिनांक 27.09.2024 को रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 28.09.2024 को हुई अन्य तीन वार्तायें व मोबाईल फोन पर हुई लेन-देन सम्बंधित वार्ता जो ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकोर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकोर्ड है, उक्त डिजीटल वाईस रिकोर्डर को कार्यालय के लेपटोप से कनेक्ट करवा रिकोर्डशुदा वार्ताओं को एक पेनड्राईव सेनडिस्क 16 जीबी बरंग लाल व काला एवं दो सीडी (आरोपी सीडी व आईओ सीडी) में कॉपी कर सुरक्षित किया जाकर पेनड्राईव को सीलचिट कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी व आरोपी श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी के मध्य हुई वार्ताओं की रिकोर्डिंग हेतु डिजीटल वाईस रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड किंगस्टन कम्पनी केनवास 32 जीबी बरंग काला को निकालकर सीलचिट कर जरिये फर्द कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात समय 11.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी पुत्र श्री भगवती प्रसाद गोस्वामी, उम्र 57 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 17, राधाकृष्ण नगर, महाराणा प्रताप कोलोनी, बांदीकुई, जिला दौसा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रभारी, भौतिक सत्यापन दल संख्या 32, कार्यालय

निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से धारा 35 बी.एन.एस.एस., 2023 की पालना की जाकर नियमानुसार किये गये जुर्म से आगाह कर गिरफ्तार किया गया। दिनांक 29.09.2024 को आरोपी श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी को माननीय न्यायाधीश सेशन एवं विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या 01, उययपुर के समक्ष पेश किया जाने पर जेसी आदेशित किया गया। जिस पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जमा करवाया गया। इस प्रकार आरोपी श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रभारी, भौतिक सत्यापन दल संख्या 32, कार्यालय निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर वैध पारिश्रमिक से भिन्न् पारितोषण ग्रहण करने के लिये परिवादी श्री भूपेन्द्र कुमार जोशी, अध्यापक से चतुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कानोड, उदयपुर में उसके जिम्मे के खेलकूद सामग्री के ओडिट/भौतिक सत्यापन कर लगभग 25,000/- रूपये की खेलकुद सामग्री की कमी निकाल कर तथा परिवादी को स्काउट बालकों को स्काउट जम्बूरी रोहट जिला पाली में कैम्प में खर्च के लिये विद्यालय द्वारा एडवान्स में दिये गये 15,000/- रूपये का समायोजन नहीं किये जाने का आक्षेप लगाकर, समस्त आक्षेपों का निस्तारण व समायोजन करने एवं परिवादी के पक्ष में रिपोर्ट तैयार करने की एवज में दिनांक 27.09.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 15,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर अपने बडे भाई की पुत्री मधुशर्मा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर खाते में डालने के लिये कहना एवं परिवादी के बैंक अकाउण्ट में रूपये नही होने से 3,000/- रूपये रिश्वत राशि नगद वार्ता के दौरान ग्रहण करना एवं शेष रिश्वत राशि 12,000/- रूपये दिये गये मोबाईल नम्बर पर खाते में डालने के लिये कहना। दिनांक 28.09.2024 को परिवादी द्वारा नगद रिश्वत राशि आरोपी को देने हेतु जाने पर आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि संबंधी वार्ता नहीं करके केवल मोबाईल दिखाकर एवं हाथों के इशारों से शेष रिश्वत राशि ऑनलाईन खाते में डालने के लिये कहना। जिस पर परिवादी द्वारा आरोपी श्री चन्द्रमोहन के द्वारा बताये गये मोबाईल नम्बर [redacted] पर यूपीआई पेमेन्ट एप फोन-पे के माध्यम से 12,000/- रूपये रिश्वत राशि ऑनलाईन ट्रांसफर की गई, इस प्रकार आरोपी द्वारा अपने रिश्तेदार के खाते में ऑनलाईन पेमेन्ट करा रिश्वत राशि ग्रहण करना, आरोपी का उक्त् क़त्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी पुत्र श्री भगवती प्रसाद गोस्वामी, उम्र 57 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 17, राधाकृष्ण नगर, महाराणा प्रताप कोलोनी, बांदीकुई, जिला दौसा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रभारी, भौतिक सत्यापन दल संख्या 32, कार्यालय निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करवाने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय) राजीव जोशी(अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट उदयपुर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजीव जोशी,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,स्पेशल यूनिट उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री चन्द्रमोहन गोस्वामी पुत्र श्री भगवती प्रसाद गोस्वामी, उम्र 57 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 17, राधाकृष्ण नगर, महाराणा प्रताप कोलोनी, बांदीकुई, जिला दौसा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रभारी, भौतिक सत्यापन दल संख्या 32, कार्यालय निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्रीमती सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, ईन्टें उदयपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 486 पर अंकित है। (कालूराम रावत) उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1199-1202 दिनांक 01-10-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर। 2-निदेशक, निरीक्षण विभाग, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-उदयपुर। उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SONU SHEKHAWAT **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Kalu Ram Rawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/10/2024 19:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): KALU RAM RAWAT
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1966				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)